



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, अगस्त 4—अगस्त 10, 2013, शनिवार/श्रावण 13—श्रावण 19, 1935
No. 20] NEW DELHI, AUGUST 4—AUGUST 10, 2013, SATURDAY/SRAVANA 13—SRAVANA 19, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2013

का.नि.आ. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय (समूह 'क' राजपत्रित) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) भर्ती नियम, 1991 तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, (प्रशासनिक और भंडार पद) भर्ती नियम, 1993 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' राजपत्रित पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों के नाम, संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. संयुक्त निदेशक (प्रशासनिक)	6* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-4, रु. 37400— 67000 + ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		शून्य
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	(10)		(11)		
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा			प्रोन्नति :		
			वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु.+ग्रेड वेतन 7600 रु. के वेतनमान में ऐसा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो । टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक		

(11)

अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 1-1-2006 (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व की गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री,

(ii) प्रशासनिक, स्थापना या लेखा सम्बन्धी मामले में बारह वर्ष का अनुभव रखता हो।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए। जनवरी, 2006 या (वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वे ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना

भर्ती करते हुए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :

प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य —अध्यक्ष
2. मुख्य नियंत्रक अनुसंधान और विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —सदस्य
3. रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव या वैज्ञानिक 'जी' —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	16* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		शून्य
	(10)		(11)		

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति :

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 के वेतनमान में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु+ग्रेड वेतन 6600 रु. जिसने मूल काडर या विभाग में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 1-1-2006 (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व की गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(11)

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री,

(ii) प्रशासनिक, स्थापना या लेखा सम्बन्धी मामले में बारह वर्षों का अनुभव ।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वे ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य —अध्यक्ष
2. मुख्य नियंत्रक अनुसंधान और विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —सदस्य
3. निदेशक, कार्मिक निदेशालय अथवा निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —सदस्य

(12)

4. निदेशक, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय या निदेशक/
उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय/वित्त
(अनुसंधान और विकास)

—सदस्य

[फा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआर/जेडी (प्रशासन) एवं सीएओ/सी/पी/01]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 8th July, 2013

S.R.O. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence (Group 'A', Gazetted) Joint Director (Administration) Recruitment Rules, 1991 and Defence Research and Development Organization (Administrative and Stores Posts) Recruitment Rules, 1993 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Joint Director (Administrative) and Chief Administrative Officer, Group 'A' Gazetted Posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely :—

1. Short Title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Joint Director (Administrative) and Chief Administrative Officer Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Name of the posts, number, classification and pay band and grade pay/pay scale.—The name of the said posts, number, their classification and the pay band, grade pay and scale of pay attached thereto shall be specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed herewith.

4. Method of recruitment, age limit, and other qualification.— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

5. Disqualifications.—No person, —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Joint Director (Administrative)	6* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Ministerial.	Pay Band-4, Rs. 37400—67000 plus Grade Pay of Rs. 8700	Selection	Not applicable
Educational and other qualification required for direct recruits			Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Not applicable			Not applicable		Nil
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made		
(10)			(11)		
By Promotion failing which by deputation			Promotion : Chief Administrative Officer in the scale of pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600 in Pay Band-3 with five years of regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note : 2 For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.		

(11)

Deputation : Officers of the Central or State Government or Union Territories;

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre of Department; and

(b) possessing following educational qualification and experience :—

(i) degree of a recognised University;

(ii) twelve years experience in Administrative Establishment or Accounts matters.

(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note : For purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six (the date from which the revised Pay Structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

(12)

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :

1. Chairman or Member of Union Public Service Commission

—Chairman

Consultation with Union Public Service Ministerial necessary while appointing an officer on deputation.

(12)

2. Chief Controller (Research & Development
Defence Research and Development
Organisation —Member
3. Joint Secretary or Scientist 'G' in
Ministry of Defence —Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Chief Administrative Officer	16* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Pay Band-3, Rs. 15600 39100 plus Grade Pay of Rs. 7600	Selection	Not applicable
	(7)			(8)	(9)
	Not applicable			Not applicable	Nil
	(10)			(11)	

By Promotion failing which by deputation

Promotion :

Senior Administrative Officer Grade-I and Senior Stores Officer Grade-I in the scale of pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 in Pay Band-3, with five years regular service in the cadre or department.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation : Officers of the Central or State Government or Union Territories;

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(11)

(b) possessing following educational qualification and experience :—

(i) degree of a recognised University;

(ii) ten years experience in Administrative, Establishment or Accounts matters.

(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note : For purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six (the date from which the revised Pay Structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee
(for considering promotion) consisting of :**

- | | |
|--|-----------|
| 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission | —Chairman |
| 2. Chief Controller (Research & Development Defence Research and Development Organisation | —Member |
| 3. Director of Personnel or Director of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation | —Member |
| 4. Director, Department of Defence, Ministry of Defence or Director/Deputy Financial Advisor, Ministry of Defence/Finance (Research and Development) | —Member |

Consultation with Union Public Services Commission necessary while appointing an officer on deputation.